सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1255/DL/1/2023-APCR

दिनांक: 22/06/2023

1. **श्री अमन समीर**
जिलाधीश सारण,
दर्शन नगर छपरा बिहार,
सारण, बिहार 841301

2. **डॉ गौरव मंगला**
पुलिस अधीक्षक, सारण
पुलिस अधीक्षक कार्यालय छपरा,
सारण, बिहार 841301
Email Id: sp-saran-bih@nic.in

विषय: प्रार्थी के पिता को दबंगो द्वारा अपनी ही जमीन पर निर्माण कार्य न करने देना और जातिगत अपशब्द कहने के संबंध मे श्री राजधन शाह, दिल्ली का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को राजधन शाह से दिनांक 22/05/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/ मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** भी जारी कर सकता है ।

(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी
दूरभाष सं.:- 24645826
ई-मेल:- researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री राजधन शाह
208- C, 2nd फ्लोर
सावित्री नगर
दिल्ली - 110017
मोबाईल न:9910274065